CNR No.-UPFR010020322026

Presented on : 06-05-2026
Registered on : 06-05-2026
Decided on : 23-07-2026
Duration : 78 days

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।

उपस्थितः नीरज कुमार .....H.J.S **(UP 1907)**

आपराधिक निगरानी सं०-**64/2026**

1-रूकुमलाल पुत्र डालचन्द्र आयु लगभग 65 वर्ष निवासी ग्राम वहेलियन पुर्वा पोस्ट वरनई चितरखा थाना हरपालपुर जनपद हरदोई।

2-संध्या पत्नी अवनीश पुत्री रूकुमलाल आयु लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम वहेलियन पुर्वा पोस्ट वरनई चितरखा थाना हरपालपुर जनपद हरदोई।

3-कप्तान सिंह पुत्र सुभाषचन्द्र आयु लगभग 30 वर्ष

4-सुभाषचन्द्र पुत्र देवीदयाल आयु लगभग 65 वर्ष

निवासीगण नौगवां कैण्ट फतेहगढ़ थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद।

----------निगरानीकर्तागण

प्रति

1-उ०प्र० राज्य

2-अवनीश कुमार पुत्र हंसराम आयु लगभग 30 वर्ष निवासी ग्राम चाचूपुर जटपुरा थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद।

----------प्रत्युत्तरदातागण

निर्णय

1. प्रस्तुत आपराधिक निगरानी, परिवाद संख्या-15481/2024 अवनीश बनाम संध्या आदि में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०-01, फर्रूखाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.04.2026 के विरुद्ध संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने निगरानीकर्तागण को अन्तर्गत धारा 494 भा०दं०सं० में बतौर अभियुक्त विचारण हेतु तलब किया गया है।

2. संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्युत्तरदाता संख्या 02/परिवादी द्वारा निगरानीकर्तागण के विरुद्ध, तलब कर दण्डित किए जाने के आशय से एक परिवाद पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके कथन संक्षेप में यह हैं कि परिवादी का विवाह संध्या के साथ दिनांक 06.05.2019 को संपन्न हुआ था। दिनांक

Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.07.23 17:18:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

16.10.2020 को करीब 11 बजे दिन में संध्या अपने पिता रुकुमलाल व दो अन्य व्यक्तियों के साथ चढ़ावे में उपहार स्वरुप प्राप्त जेवरात को मायके ले गयी और मायके में रहती रही। परिवादी उस समय दिल्ली में मजदूरी हेतु गया था। दिनांक 03.09.2022 को परिवादी के पिता को प्रेम कुमार द्वारा जानकारी मिली की संध्या ने अपना दूसरा विवाह दिनांक 10.04.2022 को कप्तान सिंह पुत्र सुभाषचन्द्र के साथ कर लिया है। परिवादी का संध्या से विवाह विच्छेद हुए बगैर संध्या के पिता रुकुमलाल, कप्तान, सुभाषचन्द्र के सहयोग से परिवादी के जीवित रहते हुए संध्या ने दूसरा विवाह कर लिया। परिवादी ने जाकर रुकुमलाल से कारण पूछा तो गाली गलौज कर धमकी देकर भगा दिया। घटन की सूचना पुलिस अधीक्षक को दी, कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय में दिनांक 23.09.2022 को परिवाद पत्र प्रस्तुत किया।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2022 को परिवाद दर्ज रजिस्टर किया गया। उपरोक्त परिवाद पर परिवादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं को धारा 200 द०प्र०सं० के अंतर्गत एवं अपने गवाहान हंसरान एवं जोगेन्द्र को धारा 202 द०प्र०सं० के अन्तर्गत परीक्षित कराया गया। दिनांक 02.09.2025 को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 202(1) द०प्र०सं० के अंतर्गत जांच आख्या आहूत की गयी। तदोपरान्त परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तर्क-तलबी के बिन्दु पर सुनने के पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2026 को प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए निगरानीकर्तागण को धारा 494 भा०दं०सं० के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर अभियुक्त/निगरानीकर्तागण द्वारा यह आपराधिक निगरानी योजित की गयी है।

4. निगरानी में, उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

5. निगरानी में आधार व तर्क लिये गये हैं कि आलोच्य आदेश विधि विरुद्ध है। परिवादी व उसके परिवारीजन द्वारा निगरानीकर्ता सं० 2 से अतिरिक्त दहेज की मांग पर मारपीट की जाती थी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30.10.2020 को महिला थाना हरदोई में अप०सं० 97/2020 अंतर्गत धारा 498ए, 323, 504, 506 आई०पी०सी० व ¾ द०प्र०अधि० राज्य बनाम अवनीश दर्ज करायी। परिवादी ने वर्ष 2021 में ग्राम कोइलारी जनपद हरदोई निवासी आरती पुत्री हेमलाल से बिना निगरानीकर्ता सं० 2 से तलाक लिए शादी कर ली। उक्त अप०सं० के मुकदमे में दबाव बनाने के उद्देश्य से परिवादी ने परिवाद प्रस्तुत किया जिसमें निगरानीकर्तागण द्वारा आपत्तियां एवं साक्ष्य दाखिल किए गए, किन्तु विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उन पर ध्यान न देकर आलोच्य आदेश पारित कर दिया गया जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। परिवादी द्वारा

जिस कप्तान के साथ संध्या का दूसरा विवाह होना बताया गया है, वह निगरानीकर्ता के दूर के रिश्तेदार है, उनको पुरानी रंजिश के कारण परिवादी ने मुल्जिम बनाया है, अनुरोध किया कि निगरानी स्वीकार की जाए।

6. प्रत्युत्तरदाता संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा निगरानी के विरोध में तर्क रखे गये कि आलोच्य आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। बल्कि निगरानी विधिक तथ्यों के विपरीत है, अनुरोध किया कि निगरानी खण्डित की जाए।

7. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली से विदित है कि प्रत्यर्थी सं० 2/परिवादी द्वारा निगरानीकर्तागण के विरुद्ध विचारण न्यायालय में संस्थित किए गए परिवाद पर निगरानीकर्तागण को विचारण हेतु धारा 494 भा०दं०सं० में तलब किया गया है। प्रस्तुत मामले में संध्या द्वारा दूसरा विवाह करना बताया गया है तथा निगरानीकर्ता सं० 1 रूकुमलाल संध्या के पिता हैं। जिससे संध्या का विवाह होना बताया गया है वह निगरानीकर्ता सं० 3 कप्तान है तथा निगरानीकर्ता सं० 4 सुभाषचन्द्र उक्त कप्तान के पिता हैं। इस संबंध में धारा 494 भा०दं०सं० प्राविधानित करती है कि "*जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिससे ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवनकाल में होता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।*" इस प्राविधान के प्रकाश में यह स्पष्ट हो जाता है कि दूसरा विवाह जिस व्यक्ति या महिला द्वारा किया जाता है वही इस धारा के अन्तर्गत आरोपित किया जायेगा। इस मामले में निगरानीकर्ता सं० 2 संध्या के द्वारा दूसरा विवाह किया जाना कहा गया है किन्तु अन्य निगरानीकर्ता को भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तलब कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर परिवादी का साक्ष्य धारा 200 दं०प्र०सं० तथा उसके साक्षियों का साक्ष्य धारा 202 दं०प्र०सं० उपलब्ध कराया गया है जिसमें मात्र मौखिक साक्ष्य दिया गया है किन्तु पत्रावली पर कहीं पर भी दूसरी शादी निगरानीकर्ता संध्या द्वारा की गयी हो, ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो कि विवाह प्रमाणपत्र, विवाह के फोटोग्राफ एवं आधार कार्ड आदि से प्रमाणित किया जा सकता था। पत्रावली पर थाने की आख्या भी उपलब्ध है जिसमें यह स्पष्ट नहीं होता है कि कप्तान सिंह द्वारा किस महिला से शादी की गयी है अथवा संध्या द्वारा कप्तान सिंह से शादी की गयी हो। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने मात्र परिवादी के मौखिक साक्ष्य व उसके साक्षियों के मौखिक साक्ष्य पर भरोसा कर एवं द्वितीय विवाह के किसी प्रमाण के न होने के बाबजूद संध्या के अतिरिक्त अन्य निगरानीकर्तागण को भी धारा 494 भा०दं०सं० में विचारण हेतु तलब कर विधिक त्रुटि कारित की है।

8- उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस मत का है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकी 18.04.2026 विधिसम्मत नहीं हैं, अतः बलयुक्त होने के कारण निगरानी स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 18.04.2026 अपास्त किया जाता है। विद्वान मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख नियमानुसार संबंधित न्यायालय को अविलंब वापस प्रेषित किया जाए।

दिनांकः 23.07.2026

(नीरज कुमार**)**
आई०डी०नं०यू०पी० 1907
सत्र न्यायाधीश
फर्रूखाबाद

आज निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः 23.07.2026

(नीरज कुमार**)**
आई०डी०नं०यू०पी० 1907
सत्र न्यायाधीश
फर्रूखाबाद